

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 25/140/19

तारीख 25.6.2019

01. मनीष जैन पिता गुलाबचन्द जैन जाति जैन उम्र 39 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 5-पी-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज.)

बनाम

.....प्रार्थी

01. मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गोकुल पिता धन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शंकरलाल पिता गुलाब जाति धाकड निवासी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शंकरलाल पिता नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बद्रीलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. घनश्याम पिता पन्नालाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. देवकीनन्दन पिता गोपाल प्रसाद जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. भंवरलाल पिता नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

- आदेश :-

दिनांक: 23.12.2020

प्रार्थना पत्र मनीष जैन पिता गुलाबचन्द जैन जाति जैन उम्र 39 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 5-पी-14 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 527 पर अंकित आराजी संख्या 119, 120, 271, 1221/281 कुल कित्ता 04 रकबा 8-06 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 527 पर अंकित आराजी संख्या 119, 120, 271, 1221/281 कुल कित्ता 04 रकबा 8-06 बीघा भूमि बशमलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये रोजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा